हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक, 18 दिसम्बर, 2024

संख्या वि0स0–विधायन–विधेयक / 1–96 / 2024.––हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम–140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 41) जो आज दिनांक 18 दिसम्बर, 2024 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण को सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित / –
सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा।

2024 का विधेयक संख्यांक 41.

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2024

खण्डों का क्रम

खण्डः

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 89 का संशोधन।

2024 का विधेयक संख्यांक 41.

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2024

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 4) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

1. संक्षिप्त नाम.––इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सशोधन) अधिनियम, 2024 है।

2. धारा 89 का संशोधन.––हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 89 की उप–धारा (2) में, दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्ः–

> ''परन्तु यह भी कि राज्य सरकार, भौगोलिक अवस्थान, परिवहन और संचार के साधनों की कमी तथा प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए, पच्चीस हजार से कम जनसंख्या वाली पिछड़ी ग्राम पंचायतों के लिए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र अधिसूचित कर सकेगी। ''।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 89 की उप–धारा (2) के अधीन उपबंध के अनुसार जिला परिषद् के निर्वाचित सदस्यों की संख्या जिला में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित व्यक्तियों की दर पच्चीस हजार या उसके किसी भाग की जनसंख्या हेतु एक सदस्य पर होगी। अधिनियम में कठिन भौगोलिक परिस्थितियों, परिवहन और संचार के साधनों की कमी और प्रशासनिक प्रसुविधा के दृष्टिगत किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र सृजित करने हेतु कोई उपबंध नहीं है। इसलिए ऐसा उपबंध करने हेतु अधिनियम में संशोधन करना अपेक्षित है।

यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(अनिरूद्ध सिंह)
प्रभारी मंत्री।

धर्मशालाः

तारीख................2024.

वित्तीय ज्ञापन

–शून्य–

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

–शून्य–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2024

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 4) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

(अनिरूद्ध सिंह)
प्रभारी मन्त्री।

(शरद कुमार लगवाल)
सचिव (विधि)।

धर्मशालाः
तारीखः..........2024.

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 41 of 2024.

THE HIMACHAL PRADESH PANCHAYATI RAJ (AMENDMENT) BILL, 2024

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title.
2. Amendment of section 89.

Bill No. 41 of 2024.

THE HIMACHAL PRADESH PANCHAYATI RAJ (AMENDMENT) BILL, 2024

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 4 of 1994).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-fifth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Amendment) Act, 2024.

2. Amendment of section 89.—In section 89 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994, in sub-section (2) after the second proviso, the following shall be added, namely:—

> "Provided also that the State Government may, after having due regard to the geographical location, lack of means of transportation and communication, and for administrative convenience, notify a territorial constituency for the Backward Gram Panchayats, having a population less than twenty-five thousand.".

STATEMENT OF OBJECT AND REASONS

As per the provision under sub-section (2) of section 89 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994, the number of elected members of a Zila Parishad shall consist of persons elected from the territorial constituencies in the district at a rate of one member for the population of twenty-five thousand or part thereof. There is no provision in the Act to create a territorial constituency in view of the difficult geographical conditions, lack of means of transportation and communication, and administrative inconvenience. Therefore, to make such provision, an amendment is required in the Act.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(ANIRUDH SINGH)
Minister-in-Charge.

DHARAMSHALA:
The …………………, 2024

FINANCIAL MEMORADNUM

—Nil –

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—Nil—

THE HIMACHAL PRADESH PANCHAYATI RAJ (AMENDMENT) BILL, 2024

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 4 of 1994).

(ANIRUDH SINGH)
Minister-in-Charge.

(SHARAD KUMAR LAGWAL)
Secretary (Law).

DHARAMSHALA:

THE.............2024,